चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनाँक 16.11.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा (थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में,थाना बहिलपुरवा द्वारा ग्राम किटहना में,थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में,थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में,थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम दीपू कोलान में,थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में,) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री पंकज तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री प्रवेश कुमार यादव एवं उनकी टीम द्वारा हत्या के प्रयास के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.11.2026 को वादी मंगल प्रसाद पुत्र राजकुमार निवासी गोपालपुर थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर की बहन की शादी बिरहवा थाना सरधुवा के दुर्गा प्रसाद पुत्र स्व० बच्चा प्रसाद के साथ हुई है। दिनांक 15/11/2026 को पति दुर्गा कोटार्य,सास चून्नी देवी,देवर पप्पू तथा चाचा ससुर धनराज ने मिलकर चाकू एवं कुल्हाडी से उनकी बहन पर जान लेने के नियत से हमला किया। बचाव करने आयी बेटी को भी आरोपीगणों ने चाकू से मारा,शोर मचाने पर लोगों को आते देख गाली व धमकी देते हुए भाग गए। इस सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 189/2026 धारा 109(1),118(1),115(2),352,351(3) बीएनएस बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया।
इसी क्रम में दिनांक 16.11.2026 को उ0नि0 श्री प्रवेश कुमार यादव एवं उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दुर्गा कोटार्य पुत्र स्व0 बच्चा निवासी ग्राम बिहरवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गुरगौला के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त ने पूंछताछ में घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी एवं चाकू को अपने खेत के पुवाल में रखने की बात बतायी गई जिसे मौके पर जाकर बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. उ0नि0 श्री प्रवेश कुमार यादव
2.का0 अमरजीत मौर्य
3.का0 विशाल तिवारी
4.का0 चा0 हरेन्द्र कुमार

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस
03 वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
(i).उ0नि0 श्री प्रवेश यादव मय हमराह आरक्षी मनीष त्रिपाठी थाना सरधुवा द्वारा मु0नं0 3673/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त धीरज सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी ग्राम भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(ii).उ0नि0 श्री इमरान खान मय हमराह आरक्षी धीरज कुमार विश्वकर्मा थाना मऊ द्वारा मु0नं0 747/2022 मु0अ0सं0 171/2022 धारा 323,336,504,506 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त गब्बर उर्फ शिवभान पुत्र रामइच्छा निवासी ग्राम बरहा कोटरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii).उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार वर्मा मय हमराह आरक्षी कुलदीप द्विवेदी थाना मऊ द्वारा मु0नं0 146/2015 मु0अ0सं0 145/2014 धारा 379/411 भादवि0 व 4/11 खान खनिज अधिनियम के वारंटी अभियुक्त छेदीलाल पुत्र स्व0 मन्नू निवासी हरिजन बस्ती (अम्बेडकर नगर) थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।